यहाँ क्रूरता के कृत्य पत्नी को अधिक दहेज लाने के लिए मजबूर करने के लिए किए गए थे और अंतिम कृत्य उसके स्त्री धन का दुरुपयोग करने के लिए उसे उसके वैवाहिक घर से बाहर निकालने के लिए किया गया था। इस प्रकार इस मामले में आरोप एक-दूसरे से टकरा रहे हैं, अंतिम तस्वीर जांच पूरी होने और संबंधित न्यायालय के समक्ष चालान प्रस्तुत करने के बाद सामने आएगी। याचिकाकर्ता आरोप तय करते समय भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए के तहत अपराध के संबंध में न्यायालय के क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार के बारे में मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र होगा।

ऊपर दर्ज कारणों के कारण, इस याचिका में कोई दम नहीं होने के कारण, इसेखारिज किया जाता है।

जे.एस.टी.

न्यायमूर्ति जी. एस. चहल के समक्ष.

एम. एम. मलिक और अन्य, - *याचिकाकर्ता,*

बनाम

प्रेम कुमार गोयल और �न्य, - उत्तरदाता।

आपराधिक विविध संख्या 1990 का 11343-एम।

14 फरवरी, 1991।

निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 - धारा 30. .138, 142 - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का II) - धारा 138 का *दायरा* - कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को जारी चेक - *बैंक द्वारा 'दराज को संदर्भित करें' टिप्पणी के साथ चेक �नादरित करना* - धारा 138 के तहत *जारी* नोटिस - कंपनी �पनी देयता का *निर्वहन करने में विफल रही* - देनदारों को भुगतान के लिए लेनदार का पता लगाना होगा - लेनदार का कार्यालय पिहोवा में है - शिकायत की सुनवाई के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार।

माना गया कि धारा 138 तब लागू होती है जब धारा के तीन प्रावधानों का भी अनुपालन किया जाता है वास्तव में, सभी देनदारी का निर्वहन करने के लिए जारी किए गए चेक के �नादरण से पहले तीन प्रावधानों का �नुपालन किया जाना चाहिए और धन की कमी के कारण �नादरण �पराध पैदा कर सकता है। एस 142 (बी) एक टांका प्रदान करता है। कार्रवाई का कारण तब पूरा होगा

जब चेक जारीकर्ता परंतुक (बी) द्वारा विचारित नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है। नोटिस की अवधि समाप्त होने की तारीख से ही अपराध किया हुआ माना जाएगा।

(पैरा 5)

आगे कहा गया, कि चेक का अनादरण केवल कार्रवाई के कारण का एक हिस्सा था और अपराध तभी पूरा हुआ जब याचिकाकर्ता-कंपनी लेनदारों के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रही। ऋण का निर्वहन करने के लिए, याचिकाकर्ताओं को अपने लेनदारों का पता लगाना था और चूंकि क्रेडिट का कार्यालय पेहोवा में था, अपराध उसी स्थान पर पूरा हुआ और इस स्थिति में, मामले की सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र कुरुक्षेत्र के न्यायालय के पास था।

(पैरा 8)

सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका प्रार्थना करते हुए कि शिकायत प्रदर्शन पी4 को श्री इंद्रजीत मेहता, जेएमआईसी, कुरुक्षेत्र की अदालत में लंबित आगे की कार्यवाही के साथ रद्द करने का आदेश दिया जाए।

यदि आगे प्रार्थना की जाती है कि इस याचिका को इस माननीय न्यायालय में लंबित रखते हुए, श्री इंद्रजीत मेहता, जेएमआईसी, कुरुक्षेत्र की अदालत में लंबित आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी जाए।

याचिकाकर्ताओं *की ओर से* वरिष्ठ अधिवक्ता एच. एल. सिब्बल और अधिवक्ता अशोक अग्रवाल।

जे. एन. कौशल, सीनियर एडवोकेट और अशोक जिंदल, *एडवोकेट, प्रतिवादियों के लिए।*

<u>निर्णय</u>

जी. एस. *चहल, न्यायमूर्ति.*

(1) यह आदेश वर्तमान दंड संशोधन और दो और को संपन्न करेगा (अर्थात, क्रा.सं. 11347-एम और 11345-एम, 1990) जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत लाए गए हैं, (प्रत्येक मामले में शिकायत अनुक्रम P-4 और जिला न्यायिक मजिस्ट्रेट 1वीं श्रेणी, कुरुक्षेत्र की प्रक्रिया पर) और उन पर हो रही प्रक्रियाओं को रद्द करने के लिए। जिनमें सभी में सामान्य कानूनी और तथ्य सवाल हैं, मैं इसमें मौजूद मामले की तथ्यों का संदर्भ करूँगा।

(2) प्रेम कुमार गोयल शिकायतकर्ता-1 के अनुसार हरियाणा मिल्क फूड्स लिमिटेड, पिहोवा शिकायतकर्ता नंबर 2 एक कंपनी है और वह इसके सलाहकार हैं

जो कार्यवाही शुरू करने के लिए विधिवत ￼धिकृत हैं। आरोपी नंबर 5 मेसर्स डेनी डेयरी एंड फूड इंजीनियर्स लिमिटेड, सहारनपुर (सप्लायर) एक लिमिटेड कंपनी है और आरोपी नंबर 1 से 3 इसके संचालक हैं और आरोपी नंबर 4 इसके मैनेजर ￼काउंट हैं।

(3) दिनांक 15 ￼प्रैल, 1988 के कार्य आदेश के तहत, शिकायतकर्ता संख्या 2 ने 1,40,00,000 रु के भुगतान के खिलाफ बाष्पीकरणीय और ड्रायर की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता-कंपनी के साथ एक ￼नुबंध किया। इसके बाद, इन सामानों के डिजाइन और आपूर्ति में संशोधन के कारण ऑर्डर का दायरा घटाकर 1,24,00,000 रुपये कर दिया गया।उक्त कार्य आदेश के खिलाफ, शिकायतकर्ता संख्या 2 ने डमरो (यू.एस.ए) और मेसर्स इवापो ड्राई (यू.के) के इंजीनियरों द्वारा प्रमाणित प्रतिबद्ध मापदंडों के ￼नुसार माल के निर्माण और उनकी स्थापना और कमीशन की सुविधा के लिए 1,47,43,383 रु 05 पैसे का भुगतान किया। अनुबंध पूरा होना था और संयंत्र 15 नवंबर 1983 तक चालू होना था।आपूर्तिकर्ता-कंपनी ने प्राप्त ￼तिरिक्त राशि के पुनर्भुगतान के संबंध में ￼पनी देयता को कम करने के लिए, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिविल लाइंस, सहारनपुर (आपूर्तिकर्ता कंपनी के बैंकर) द्वारा देय शिकायतकर्ता संख्या 2 के पक्ष में 50,000 रुपये के लिए 13 ￼गस्त, 1989 को चेक नंबर 300538 जारी किया। शिकायतकर्ता नंबर 2 ने ￼पने बैंकर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, सहारनपुर के माध्यम से उक्त चेक प्रस्तुत किया, लेकिन इसे 17 ￼गस्त, 1989 को "ड्रॉ￼र को संदर्भित करें" टिप्पणी के साथ वापस

प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है खाते में पर्याप्त धन की अनुपलब्धता। यह जानकारी बैंकरों द्वारा शिकायतकर्ता नंबर 2 को दी गई थी और उस सूचना के प्राप्त होने पर, शिकायतकर्ता नंबर 1 ने 26 अगस्त, 1989 को एक पंजीकृत पत्र के माध्यम से नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 138 (बी) के तहत नोटिस जारी किया, जिसमें उक्त राशि के भुगतान के लिए एक व्यक्ति को अधिकृत किया गया। यह नोटिस आरोपी नंबर 1 को मिला था, लेकिन कोई भुगतान नहीं किया गया। इस प्रकार, आरोपी ने अधिनियम की धारा 138 के तहत अपराध किया था।

(4) यह चुनौती मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र में न्यायालय के क्षेत्रीय न्यायाधिकार को दी गई है, जिसमें कहा गया है कि केवल दिल्ली और सहारनपुर की अदालत के पास अपराध की सुनवाई करने का अधिकार है। यह भी आरोप लगाया गया है कि चूंकि एम.एम.मलिक ने चेक पर हस्ताक्षर किए थे, इसलिए केवल उस पर अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता था, यदि कोई हो। विद्वान वकील के तर्क की सराहना करने के लिए, अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों पर ध्यान दिया जा सकता है:

" ***धारा 30- ड्रेउर की देयता***- विनिमय या चेक के बिल का आहर्ता अदाकर्ता या स्वीकारकर्ता द्वारा अनादर के मामले में धारक को मुआवजा देने के लिए बाध्य है, बशर्ते कि अनादर की उचित सूचना जारीकर्ता को दी गई हो, या उसके द्वारा प्राप्त की गई हो, जैसा कि इसके बाद प्रदान किया गया है।

* * ** *

धारा 138. **खाते में धनराशि की अपर्याप्तता, आदि के लिए चेक का अनादर** -जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैंकर के पास रखे गए खाते पर किसी अन्य व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी ऋण या अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक रूप से निर्वहन के लिए भुगतान करने के लिए चेक किया गया चेक है, बैंक द्वारा अवैतनिक लौटाया गया, या तो उस खाते में जमा राशि के कारण चेक का सम्मान करने के लिए अपर्याप्त है या यह उस बैंक के साथ किए गए समझौते द्वारा उस खाते से भुगतान की जाने वाली राशि से अधिक है, ऐसा व्यक्ति करेगा अपराध किया हुआ माना जाएगा और इस अधिनियम के किन्हीं अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, के कारावास से दंडित किया जाएगा [एक अवधि जिसे दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माने के साथ जो चेक की राशि से दोगुना हो सकता है, या दोनों के साथ) बशर्ते कि इस धारा में निहित कुछ भी तब तक लागू नहीं होगा जब तक कि-

(ए) चेक बैंक को उस तारीख से छह महीने (अब तीन महीने) की अवधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है जिस पर इसे जारी गया है या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो;

(बी) भुगतानकर्ता या धारक चेक के उचित समय में जैसा भी मामला हो, चेक के आहर्ता को लिखित रूप में नोटिस देकर उक्त राशि के भुगतान की मांग करता है, उसके भीतर बैंक से उसके द्वारा भुगतान न किए गए चेक की वापसी के संबंध में सूचना की प्राप्ति के तीस दिन; तथा

(सी) ऐसे चेक का आहर्ता उक्त नोटिस की प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के भीतर, भुगतानकर्ता या धारक को, जैसा भी मामला हो, चेक के नियत समय में उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहता है।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "ऋण या अन्य दायित्व" का अर्थ कानूनी रूप से प्रवर्तनीय ऋण या अन्य दायित्व है।]

* * **

धारा 142. *⊠पराधों का संज्ञान* - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का *2*) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी-

(ए) कोई भी न्यायालय धारा 138 के तहत दंडनीय किसी ⊠पराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय इसके किआदाता द्वारा की गई रिट िंग में या, जैसा भी मामला हो, धारक को चेक के नियत समय में;

(बी) ऐसी शिकायत उस तारीख के एक महीने के भीतर की जाती है जिस दिन धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है;

(सी) मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कमतर कोई भी अदालत धारा जे 88 के तहत दंडनीय किसी भी अपराध की सुनवाई नहीं करेगी।

"

धारा 30 के प्रावधानों के तहत, जब भी कोई चेक बाउंस होता है, तो ड्रॉअर को चेक धारक को चेक के लिए मुआवजा देना होता है। यह एक नागरिक दायित्व के रूप में है। धारा 188 के तहत, हालांकि, एक अपराध को तब किया गया माना जाता है जब उसमें निर्धारित शर्तों को पूरा किया जाता है।

(5) 1 अप्रैल, 1989 से बैंकिंग, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं द्वारा निगोशिएबल लिखत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 86) के रूप में धारा 138 और 5 142 को सम्मिलित किया गया था। नए अध्याय के उद्देश्यों की व्याख्या करते हुए बी इल में संलग्न वस्तुओं और कारणों का कथननिम्नानुसार है:

"यह खंड ('विधेयक का अनुच्छेद 4) नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 में एक नया अध्याय 15 वां जोड़ता है। नए अध्याय में निहित प्रावधानों में यह प्रावधान है कि जहां किसी व्यक्ति द्वारा किसी भीदेयता के निर्वहन के लिए लिया गया कोई भी चेक बैंक द्वारा उस खाते के क्रेडिट में खड़ी राशि की अपर्याप्तता के कारण अवैतनिक रूप से वापस कर दिया जाता है, जिस पर चेक निकाला गया था या इस कारण से कि यह की गई व्यवस्था से अधिक है।उस खाते के बैंकरों के पास चेक के आहरणकर्ता द्वारा, ऐसे चेक के आहरणकर्ता को अपराध माना जाएगा। उस स्थिति में, उक्त अधिनियम के अन्य प्रावधानों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, आदाता को एक वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या चेक की राशि के दोगुने तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। यह भी प्रावधान किए गए हैं कि उक्त प्राधिकरण का गठन किया जाए-

(ए) इस तरह के चेक को आहरण की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर या इसकी वैधता की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(बी) ऐसे चेक के आदाता या धारक को चेक की वापसी के संबंध में बैंक से सूचना प्राप्त होने के पंद्रह वर्ष के भीतर चेक के आहरणकर्ता को लिखित रूप में नोटिस देकर उक्त धनराशि के भुगतान की मांग करनी चाहिए; और

(सी) ऐसे चेक के आहरणकर्ता को उक्त नोटिस के पंद्रह दिनों के भीतर चेक के नियत समय में आदाता या धारक को उक्त राशि का भुगतान करने में विफल होना चाहिए।

यह भी प्रावधान किया गया है कि यह माना जाएगा, जब तक कि इसके विपरीत साबित न हो जाए, कि ऐसे चेक के धारक ने देयता के निर्वहन में चेक प्राप्त किया है। प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए ऐसे बचाव की भी व्यवस्था की गई है जिन्हें ऐसे अपराध के लिए किसी भी कार्रवाई में अनुमति दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। उक्त नए अध्याय में कंपनियों द्वारा अपराधों से संबंधित सामान्य प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि वास्तविक और ईमानदार बैंक ग्राहकों को परेशान न किया जाए या असुविधा न हो, प्रस्तावित नए अध्याय में पर्याप्त सुरक्षा उपाय भी किए गए हैं। ऐसे रक्षोपाय हैं-

(ए) कि कोई भी न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा, सिवाय आदाता या धारक द्वारा लिखित रूप में की गई शिकायत के।

(बी) कि ऐसी शिकायत उस तारीख के एक महीने के भीतर की जाती है जिस पर कार्रवाई का कारण उठता है; और

(सी) कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम कोई भी दालत किसी भी पराध की सुनवाई नहीं करेगी ।

धारा 138 तभी लागू होती है जब धारा के तीन परंतुकों का भी नुपालन किया जाता है। मैं श्री एच. एल सिब्बल, वरिष्ठ धिवक्ता के इस कथन का समर्थन करने में समर्थ हूं कि परंतुक बचाव करते हैं और पराध के वयव नहीं हैं। वास्तव में, दायित्व का निर्वहन करने के लिए जारी किए गए चेक के नादरण से पहले सभी तीन परंतुकों का नुपालन किया जाना चाहिए और धन की कमी के कारण नादरण पराध पैदा कर सकता है। धारा 142 (बी) एक स्पष्टीकरण प्रदान करती है। कार्रवाई का कारण तब पूरा होगा जब दराज चेक पर परंतुक (बी) द्वारा विचार किए गए नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर भुगतान किया जाएगा। पराध केवल उस तारीख से किया गया माना जाएगा जब नोटिस वधि समाप्त हो गई थी। मैं जस्टिस थॉमस, द्वारा ***पूरनजीत सिंह बनाम जॉब***[1] में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से पनी टिप्पणियों का समर्थन प्राप्त करता हूं।;

> "जब धारा के मुख्य भाग को परंतुक के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि पराध केवल तभी माना जाएगा जब चेक का आहरणकर्ता नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहा । संहिता की धारा 2 (एन) में परिभाषित "पराध" में न केवल एक सकारात्मक कार्य करना शामिल है, बल्कि कुछ करने से भी इनकार करना शामिल है। यहां संबंधित प्रावधान कहता है कि पराध नोटिस

[1] 1989 एपी 461 केरल।

प्राप्ति होने के पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करने में चूक है। चेक निकालना वह कार्य नहीं है जिसके द्वारा पराध किया गया माना जाता है। जब ड्रॉर परंतुक के खंड (सी) में निर्दिष्ट वधि के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है, तो पराध निवार्य है। इस पहलू को धिनियम की धारा 142 (बी) में और स्पष्ट किया गया है। उक्त खंड के तहत कोई भी दालत धारा 138 के तहत दंडनीय किसी भी पराध का संज्ञान नहीं लेगी, जब तक कि "ऐसी शिकायत धारा 138 के परंतुक के खंड (सी) के तहत कार्रवाई का कारण उत्पन्न होने की तारीख के एक महीने के भीतर नहीं की जाती है"। आम तौर पर पराध होने तक कार्रवाई का कारण उत्पन्न नहीं होता है। जब धारा 142 (सी) कहती है कि कार्रवाई का कारण वह है जो परंतुक के खंड (सी) के तहत उत्पन्न होता है, तो कार्रवाई का ऐसा कारण नोटिस की प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर भुगतान करने की चूक है। -----

(6) वकील श्री सिब्बल ने तब यह तर्क देने की कोशिश की कि "आहरणकर्ता को संदर्भित करें" शब्द का र्थ यह नहीं है कि दराज के खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं थी या चेक की राशि व्यवस्था की राशि से धिक थी। हालांकि, वह यह दिखाने में समर्थ हैं कि, वास्तव में, याचिकाकर्ता-कंपनी के खाते में चेक का सम्मान करने के लिए पर्याप्त धनराशि थी। "ड्रॉर को संदर्भित करें" शब्द केवल एक विनम्र तरीका है, जिसे आम तौर पर एक बैंकर द्वारा चुना जाता है, ताकि धन की कमी के कारण चेक का सम्मान करने में समर्थता दिखाई जा सके। यदि, वास्तव में, याचिकाकर्ता-

कंपनी के पास बैंक के साथ ... खाते में ... था, तो वह इस तथ्य को परीक्षण में दिखा सकता है। न्यायालय

(7) अपराध को केवल एक काल्पनिक मामला माना जाता है और यह केवल तभी हो सकता है जब सभी शर्तों और परंतुक को भी पूरा किया जाता है।

(8) चेक का अनादर केवल कार्रवाई का एक हिस्सा था और अपराध केवल तभी पूरा हुआ जब याचिकाकर्ता कंपनी लेनदारों के प्रति अपनी देयता का निर्वहन करने में विफल रही । ऋण का भुगतान करने के बाद, याचिकाकर्ताओं को अपने लेनदारों को अलग करना था और चूंकि लेनदार पिहोवा में अपना कार्यालय था, इसलिए अपराध उसी स्थान पर पूरा हो गया और इस स्थिति में, कुरुक्षेत्र की अदालत के पास मामले की सुनवाई करने का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र था। विवादित शिकायत को रद्द करने और बाद की कार्यवाही के लिए कोई आधार नहीं बनता है। अन्य सभी याचिकाएं सुनवाई के समय याचिकाकर्ताओं के लिए उपलब्ध होंगी। एम. एम. मलिक के अलावा अन्य याचिकाकर्ताओं के दायित्व को ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष आग्रह किया जा सकता है। सभी तीन आपराधिक विविध (ऊपर उल्लिखित) को खारिज किया जाता है।

(9) पक्षकारों को उनके विद्वान वकील के माध्यम से 12 मार्च, 1991 को ट्रायल मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

एस.सी.के.

न्यायमूर्ति एस सेखों के समक्ष

ओम प्रकाश,-याचिकाकर्ता,

बनाम

विद्या देवी, — प्रतिवादी।

आपराधिक विविध संख्या। 1990 *का* 2176-एम।

21 मार्च, 1991।

दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का II) - धारा 125, 421, 482 - पत्नी *के पक्ष में दिया गया भरण-पोषण भत्ता* - पति का भुगतान करने में *विफलता - पत्नी द्वारा निष्पादन की कार्यवाही शुरू करना - पति ने सेवा स्वीकार करने से इनकार कर दिया - पति के खिलाफ पति की गिरफ्तारी का सशर्त वारंट* - मजिस्ट्रेट दंडात्मक *तरीकों का सहारा लेने* में विफल रहा - *ऐसी प्रक्रिया - गैरकानूनी।*

यह माना गया है कि यदि कोई व्यक्ति पर्याप्त कारण के बिना भरण-पोषण भत्ता का भुगतान करने के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में विफल रहता है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट निम्नलिखित में देय राशि लगाने के लिए वारंट जारी कर सकता है।

एम. एम. मलिक और अन्य *वी.* प्रेम कुमार गोयल और एक अन्य

(जी. एस. चहल, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

सिद्धांत रॉयल
प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

जगाधरी, हरियाणा